03/भू०अ०नि0(04)वि0सर्वे0—09/2022(खण्ड—1)

I/85919/2023

दिनांक—16.10.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलावार प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक में की गई समीक्षा एवं निदेश के मुख्य बिन्दु।

उपस्थितिः— यथा संधारित।

दिनांक—16.10.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एवं श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की उपस्थिति में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ की गई।

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर जिलावार तैयार किए गए समेकित एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त जिलों को दिए गए निदेश निम्नवत् हैं—

1. **प्रथम चरण अंतर्गत जिला के सभी राजस्व ग्रामों की प्रगति की समीक्षाः**— दिनांक—11.04.2023 को हुई राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक—30.06.2023 तक सभी जिलों में 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार प्रकाशित किये गए लक्ष्य के आलोक में की गई। समीक्षा में पाया गया कि अब तक मात्र 3 जिलों यथा—शेखपुरा, शिवहर एवं सुपौल द्वारा लक्ष्य पूरा किया गया है एवं पूर्णिया द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति के साथ—साथ प्रथम चरण अंतर्गत सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा की गई, जो निम्नवत हैः—

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रथम चरण जिला अंतर्गत कुल राजस्व ग्राम	0—2500 खेसरों वाले ग्राम			2500 से 5000 खेसरों वाले ग्राम			5000 से 10000 खेसरों वाले ग्राम			10000 खसरों से अधिक वाले ग्राम		अभ्युक्ति
			2500 खेसरों तक वाले कुल ग्राम	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम	प्रपत्र—20 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम	प्रपत्र—20 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	खानापुरी पूर्ण	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	खानापुरी पूर्ण	
1	अररिया	144	78	70	00	32	00	00	34	—		—	—	
2	अरवल	312	166	58	01	88	00	00	40	0	0	18	0	

I/85919/2023

क्र0 सं0	जिला का नाम		0–2500 खेसरों वाले ग्राम			2500 से 5000 खेसरों वाले ग्राम			5000 से 10000 खेसरों वाले ग्राम			10000 खेसरों से अधिक वाले ग्राम		अभ्युक्ति
		प्रथम चरण जिला अंतर्गत कुल राजस्व ग्राम	2500 खेसरों तक वाले कुल ग्राम	प्रपत्र–12 प्रकाशित ग्राम	प्रपत्र–20 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	प्रपत्र–12 प्रकाशित ग्राम	प्रपत्र–20 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	खानापुरी पूर्ण	प्रपत्र–12 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	खानापुरी पूर्ण	
3	बांका	309	168	117	53	57	04	–	59	02	–	25	01	बट्टा नं0 वाले ग्रामों को विभक्त करने पर कुल 935 ग्राम
4	बेगूसराय	435	299	229	171	65	00	00	53	12	0	23	0	
5	जमुई	155	69	39	13	30	00	00	56	0	0	0	0	
6	जहानाबाद	240	159	92	43	56	00	00	22	6	0	3	0	
7	कटिहार	167	116	78	42	34	00	00	17	17	0	0	0	
8	खगडिया	158	78	33	08	46	00	00	27	04	00	07	01	
9	किशनगंज	460	284	67	03	97	00	00	60	1	0	19	0	
10	लखीसराय	387	243	133	47	86	00	00	47	0	0	11	0	
11	मधेपुरा	114	61	44	04	18	00	00	13	00	00	22	00	
12	मुंगेर	306	264	183	42	33	01	00	09	0	0	0	0	
13	नालंदा	396	211	190	17	103	16	00	62	3	0	20	0	
14	पूर्णियाँ	72	53	47	02	06	00	00	8	6	0	05	0	
15	सहरसा	122	42	25	00	44	00	00	21	8	01	15	0	
16	शेखपुरा	284	160	160	148	64	42	00	53	44	01	07	0	
17	शिवहर	80	29	29	07	28	00	00	23	0	0	0	0	
18	सीतामढी	253	90	48	04	106	00	00	43	11	00	14	01	
19	सुपौल	252	76	76	41	64	18	00	69	0	0	43	0	
20	प0 चम्पारण	281	153	121	39	63	01	00	65	0	0	0	0	
	कुल	**4927**	**2800**	**1820**	**682**	**1104**	**81**	**0**	**781**	**114**	**2**	**232**	**3**	

2. **2500 खेसरों तक वाले ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षाः**– 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरा तक वाले कुल 2800 राजस्व ग्रामों में अब तक मात्र 1820 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है एवं अगस्त द्वितीय सप्ताह से अक्टूबर द्वितीय सप्ताह के मध्य मात्र 257 राजस्व ग्रामों की प्रगति हुई है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पूर्व प्राप्त कुल 74175 दावा–आपत्तियों में मात्र 22351 एवं प्रपत्र–12 के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त कुल आपत्ति 44280 में मात्र 17543 को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है। उक्त प्रगति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि प्रपत्र–20 में प्रकाशित अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं निष्पादन सम्बन्धी आदेश की जिलावार सूची बनाकर अलग से समीक्षा की जाए एवं जिन

I/85919/2023

राजस्व ग्रामों में नियमावली के अनुरूप कालावधि पूर्ण हो गई है, उनका अधिकार अभिलेख अंचल स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के प्रगति की विगत् 3 माह की प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिलावार प्रगति निम्नवत पाई गई—

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति

SL. NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन			खानापुरी			प्रपत्र 6 इंट्री			एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		विश्राति के लिए लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम	
			अगस्त द्वितीगय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह	प्रगति	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह	प्रगति	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह	प्रगति	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर द्वितीमय सप्ताह
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	79	51	70	19	0	0	0	2	0	2	0	0	6	1	0	1	2
2	ARWAL	166	40	51	11	0	0	0	37	9	28	10	67	46	0	15	0	35
3	BANKA	168	108	115	7	1	0	1	10	0	10	1	45	34	0	14	0	5
4	BEGUSARAI	299	188	229	41	23	12	11	13	9	4	8	38	15	1	0	6	11
5	JAMUI	69	34	39	5	2	0	2	8	2	6	1	18	12	0	15	0	0
6	JEHANABAD	159	61	92	31	0	0	0	15	2	13	14	63	26	0	17	0	8
7	KATIHAR	116	71	78	7	0	0	0	0	0	0	4	12	17	0	6	1	15
8	KHAGARIA	78	22	31	9	1	1	0	12	5	7	2	41	32	1	2	0	5
9	KISHANGANJ	284	57	66	9	115	73	42	38	58	20	32	54	52	4	3	1	0
10	LAKHISARAI	243	106	133	27	14	4	10	34	8	26	14	60	43	1	30	0	10
11	MADHEPURA	61	42	44	2	1	0	1	2	2	0	1	16	8	0	4	0	2
12	MUNGER	264	178	183	5	1	1	0	12	5	7	7	56	49	0	0	0	19
13	NALANDA	211	148	188	40	0	0	0	0	0	0	0	53	3	2	6	4	10
14	PURNIA	53	41	47	6	0	0	0	5	0	5	0	2	0	0	0	0	6
15	SAHARSA	42	21	25	4	6	0	6	3	6	3	1	10	5	0	5	0	0
16	SHEIKHPURA	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SITAMARHI	90	41	43	2	0	0	0	9	0	9	0	40	39	0	3	0	5
19	SUPAUL	76	63	76	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	W. CHAMPARAN	153	102	121	19	2	0	2	12	3	9	12	15	9	0	1	2	7
	Total:-	2800	1563	1820	257	166	91	75	212	109	149	107	590	396	10	121	15	140

2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा उपरान्त 2500 से 5000 खेसरा तक वाले ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा की गई और निम्नवत प्रगति पाई गई—

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र0सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र - 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल0पी0 एम0		सुनवाई		अभ्युक्ति
					ऐसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरा पूर्ण परन्तु प्रपत्र - 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0पी0एम० लंबित	एल0पी0एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	0	32	0	8	0	13	1	0	6	0	04 नक्शा लंबित
2	अरवल	71	0	71	0	30	0	31	5	5	0	0	
3	बांका	57	4	53	1	28	3	7	1	0	11	2	
4	बेगूसराय	65	0	65	9	39	1	4	9	3	2	1	
5	जमुई	30	0	30	0	11	1	8	2	0	7	1	
6	जहानाबाद	56	0	56	0	15	3	23	8	0	7	0	
7	कटिहार	34	0	34	0	0	0	6	14	0	15	0	
8	खगडिया	46	0	46	0	23	0	17	0	0	5	0	
9	किशनगंज	97	0	97	63	27	6	2	0	0	0	0	
10	लखीसराय	86	0	86	14	51	0	19	2	0	0	0	
11	मधेपुरा	18	0	18	0	5	3	7	2	0	1	0	
12	मुंगेर	33	0	33	0	1	2	14	6	0	9	0	
13	नालंदा	103	15	88	2	38	0	18	3	26	9	17	02 राजस्व ग्राम का सी0एस0 मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णियाँ	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	सभी 06 राजस्व ग्राम में प्रपत्र-06 की प्रविष्टि प्रारंभ है।
15	सहरसा	44	0	44	8	14	2	8	1	11	9	2	
16	शेखपुरा	64	42	22	0	0	0	3	0	0	19	0	
17	शिवहर	28	0	28	0	7	0	6	1	0	10	1	
18	सीतामढी	106	0	106	35	18	10	28	8	0	7	0	खानापुरी स्थगीत 4 प्रपत्र 6 स्थगीत 2
19	सुपौल	64	18	46	13	5	0	7	2	0	11	8	
20	प0 चम्पारण	63	1	62	7	14	12	16	8	5	0	0	06 राजस्व ग्राम में याद्दाश्त लेखन एवं 04 राजस्व ग्राम में नक्शा पर कार्य जारी है।
	कुल	**1103**	**80**	**1023**	**152**	**334**	**43**	**243**	**73**	**50**	**128**	**32**	

जिलों के प्रगति के समीक्षोपरान्त जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं तदुपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् हैं—

(i) बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में 31 अक्टूबर, 2023 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि सभी दावा, आपत्ति एवं आदेशों को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए एवं 2500 खेसरों से अधिक वाले शेष 65 राजस्व ग्रामों के कार्य में तेजी लाई जाए तथा जनवरी, 2024 तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया)

(ii) अरवल जिले की प्रगति के बारे में बताया गया कि 2500 खेसरों तक वाले कुल 166 राजस्व ग्रामों में से 58 का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है एवं एजेंसी के पास 35 ग्रामों के मानचित्र अपडेशन हेतु लंबित हैं। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 से पृच्छा करने पर बताया गया कि उनके पास मात्र 20 मानचित्र लंबित हैं। सुनवाई की प्रक्रिया में 46 ग्राम लंबित है।

निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन से स्पष्ट हो रहा है कि जिला एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के मध्य समन्वय का अभाव है। बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से पहल करते हुए एजेंसी के साथ समन्वय बनाए जाने की आवश्यकता है। सुनवाई के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रत्येक दिन शिविर स्तर निश्चित रूप से सुनवाई के काय को 10:00 बजे अपराह्न से प्रारंभ किया जाए एवं जिला स्तर से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल / आई0आई0सी0हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

(iii) बांका और बेगूसराय की समीक्षा में नवम्बर, 2023 तक 2500 खेसरों वाले सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया। बांका में 5000 खेसरा अधिक वाले ग्रामों की संख्या अधिक होने के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व से बांका में बड़ी संख्या में ग्रामों का विभाजन बट्टा नं0 के आधार पर था और बट्टा नं0 के आधार वर्त्तमान में ग्रामों की संख्या 309 के स्थान पर 935 है। जिस कारण बड़ी संख्या में राजस्व ग्रामों में खेसरों की संख्या अधिक हो गई है। बांका जिले में चल रहे खानापुरी कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। बेगूसराय में 2500 से 5000 खेसरों वाले राजस्व ग्रामों में दिसम्बर, 2023 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय / बांका)

(iv) जमुई, जहानाबाद, कटिहार एवं खगड़िया की समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरा तक वाले सभी ग्रामो में खानापुरी पूर्ण हो गई है, जबकि 2500 से 5000 खेसरों वाले एक भी ग्राम में खानापुरी पूर्ण नहीं की गई है एवं कटिहार को छोड़कर शेष जिलों में 2500 खेसरा तक वाले अभी भी बड़ी संख्या में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन हेतु लंबित है। खगड़िया क बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक शिविर प्रभारी द्वारा इस्तीफा देने के कारण प्रगति बाधित हुई है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि कुछ राजस्व ग्रामों में कैडेस्ट्रल सर्वे की सरकारी भूमि को बाद के सर्वे में (सर्वस्ता सर्वे) में रैयती कर दिया गया है, जिस कारण स्वामित्व निर्धारण में कठिनाई आ रही है।

I/85919/2023

निदेशित किया गया कि कैडेस्ट्रल खतियान में जो भूमि स्पष्ट रूप से सरकारी है, उसे आधार मानकर खानापुरी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए एवं सुनवाई में शांतिपूर्ण दखल लगान रसीद एवं अंचलस्तरीय प्रतिवेदन के आधार दावा, आपत्ति के आलोक में निर्णय लिया जाए। खगड़िया में जनवरी तक 5000 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में फरवरी—मार्च तक प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों में अधिकार अभिलेख प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—संबंधित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(v) किशनगंज जिले की समीक्षा में पाया गया कि 73 राजस्व ग्रामों में खानापुरी एवं 52 राजस्व ग्रामों में सुनवाई का कार्य चल रही है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ राजस्व ग्रामों में मई—2023 से ही खानापुरी चल रही है, जबकि प्रपत्र—6 की प्रविष्टि का कार्य भी तेजी से नही हो पा रहा है। किशनगंज के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा निवेदित किया गया कि समाहर्त्ता महोदय की व्यस्तता के कारण विशेष सर्वेक्षण को सघन समीक्षा नहीं हो पाती है एवं जिला स्तर पर किसी राजस्व पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं रहने और शिविरों की संख्या अधिक होने के कारण अनुश्रवण में काफी कठिनाई होती है।

निदेशित किया गया कि प्रपत्र—6 की प्रविष्टि सम्बन्धी कार्य को गति प्रदान करने क लिए जिला स्तर पर कैम्प लगवाकर कार्य करवाया जाए। किशनगंज में किसो अन्य जिले से एक राजस्व पदाधिकारी एवं एक लिपिक को किशनगंज में प्रतिनियुक्त किया जाए, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग को किशनगंज जिले में अन्य जिलों की भाँति बन्दोबस्त पदाधिकारी का प्रभार अपर सामाहर्त्ता को देने का अनुरोध पत्र दिया जाए।

(अनुपालन—सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज/स्थापना शाखा, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

(vi) लखीसराय और मधेपुरा की समीक्षा में प्रतिवेदित किया गया कि लखीसराय में 30 नवम्बर तक 2500 खेसरों वाले कुल 243 राजस्व ग्रामों में से 231 का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा एवं 2500 से 5000 खेसरा वाले राजस्व ग्रामों में एक पक्ष पहले से कार्य आरंभ कर दिया गया है। मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 15 नवम्बर तक 2500 खेसरा वाले राजस्व ग्रामों का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जबकि 2500—5000 खेसरा वाले 18 तथा 5000 खेसरा से अधिक वाले सभी 35 ग्रामों में खानापुरी की जा रही है।

निदेशित किया गया जनवरी—2024 तक एवं 15 नवम्बर—2023 तक 2500 तक खेसरों वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन—बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय, मधेपुरा)

(vii) बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर एवं नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नालंदा में 31 अक्टूबर तक तथा मुंगेर में 15 नवम्बर तक 2500 खेसरा तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। प्रतिवेदित किया गया कि अनेक ग्रामों में विगत खतियान की अनुपलब्धता के कारण भूमि के स्वामित्व निर्धारण में कठिनाई हो रही है।

निदेशित किया गया कि सभी जिलों में जहाँ भी विगत खतियान अनुपलब्ध है, वहाँ अंचल स्तर से सम्बन्धित ग्राम की सरकारी भूमि से सम्बन्धित आंकड़ा प्राप्त किया जाए एवं उपलब्ध जमाबन्दी पंजी एवं भूमि सम्बन्धी साक्ष्यों के आधार पर अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाए। किसी भी परिस्थिति में विगत खतियान की अनुपलब्धता के कारण कार्य की गति बाधित नहीं की जाए। मुंगेर में सुनवाई प्रक्रिया में लंबित 49 राजस्व ग्रामों में सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं सुनवाई कार्य का अनुश्रवण प्रतिदिन जिला स्तर से करने का निदेश दिया गया।

मुंगेर एवं नालंदा दोनों जिलों में प्रथम चरण के सभी राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख फरवरी—2024 तक किसी भी दशा में प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर एव नालंदा)

(viii) पूर्णिया एवं सहरसा जिले की समीक्षा में बताया गया कि पूर्णिया जिले में 31 अक्टूबर तथा सहरसा में 30 नवम्बर तक 2500 खेसरा तक वाले सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। सहरसा में पाया गया कि 2500 से 5000 खेसरा तक वाले 44 राजस्व ग्रामों में से 22 में किस्तवार एवं खानापुरी की कार्य प्रगति पर है, जबकि 8 ग्रामों में खानापुरी प्रारंभ नहीं की गई है, जबकि पूर्णिया में 2500 से अधिक खेसरा वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति संतोषजनक नहीं है।

निदेशित किया गया कि दिसम्बर तक पूर्णिया में 5000 खेसरा तक वाले सभी ग्रामा में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाए। पूर्णिया तथा सहरसा में सभी 2500 से अधिक खेसरा वाले राजस्व ग्रामों में खानापुरी के कार्य में तेजी लाई जाए एवं फरवरी तक प्रथम चरण के राजस्व ग्रामों का कार्य समाप्त करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि किशनगंज की धीमी प्रगति को देखते हुए पूर्णिया एवं अन्य जिलों से 10 अमीन एवं कुछ कानूनगो को किशनगंज में पदस्थापित करने का प्रस्ताव अविलंब उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन—सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप/बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा एवं पूर्णिया)

(ix) शेखपुरा एवं सुपौल की समीक्षा में पाया गया कि दोनों जिलों में 2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जा चुका है, लेकिन शेखपुरा में कुल 284 ग्रामों में 124 ग्राम तथा सुपौल में 176 ग्राम 2500 खेसरा से अधिक वाले ग्राम है। इन ग्रामों में शेखपुरा में मात्र 43 तथा सुपौल में मात्र 18 ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है। शेखपुरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिले में 2500 से 5000 खेसरा तक वाले ग्रामों में 15 नवम्बर, 2023 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सुपौल जिले में जो ग्राम कोशी की धारा क्षेत्र के अन्दर है, उन्हें छोड़कर शेष 2500 से 5000 खेसरा वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख नवम्बर, 2023 में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि शेखपुरा जिले में 12000 खेसरा से अधिक वाले 07 राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए। सुपौल के बन्दोबस्त पदाधिकारी को अपेक्षाकृत बड़े राजस्व ग्रामों में खानापुरी के कार्य में तेजी लाने तथा सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों के अभिलेखों की जाँच करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा एवं सुपौल)

(x) शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण की समीक्षा में शिवहर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिसम्बर, 2023 तक प्रथम चरण के सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो जाएगा। सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि 15 नवम्बर, 2023 तक 2500 खेसरा वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि सीतामढो जिले में दिनांक—10.10.2023 में सुनवाई प्रक्रम में लंबित ग्रामों के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्य किया जा रहा है। पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया 2500 खेसरा वाले ग्रामों में नवम्बर में तथा 2500 से 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में दिसम्बर तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

I/85919/2023

विभिन्न जिलों की जिलावार समीक्षा एवं निदेश के उपरांत निदेशित किया गया कि सुपौल में एक लिपिक की पदस्थापना की जाए। बन्दोबस्त पदाधिकारियों के अनुरोध पर आई0 टी0 सेल को निदेश दिया गया कि भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में एल0पी0एम0 एवं प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा—आपत्ति एवं निष्पादन संबंधी अपलोडिंग की स्थिति देखने का यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड तथा विभिन्न प्रक्रमों में हुई प्रगति प्रतिदिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिर्फ देखने की सुविधा सभी जिलों को प्रदत्त कर दी जाए।

(अनुपालन—स्थापना शाखा/प्रभारी, आई0टी0 सेल)

Signed by Jai Singh
Date: 31-10-2023 10:11:28
(जय सिंह)
निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

1. **प्रतिलिपिः** समाहर्त्ता, किशनगंज/बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/मधेपुरा/अरवल/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. **प्रतिलिपिः** भूमि सुधार उप समाहर्त्ता—सह—प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज/सहरसा/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ / मधेपुरा/अरवल/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. **प्रतिलिपिः** राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. **प्रतिलिपिः** जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. **प्रतिलिपिः** सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू—अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. **प्रतिलिपिः** श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. **प्रतिलिपि** : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
8. **प्रतिलिपि** : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।